तारीखहुकम	
	कि विवादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिन्तन–मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि में से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 27 की संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है। वकील प्रार्थी के कथन से हम सहमत है कि विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1891 रकबा 01.02 बीघा का बिना बंटवाड़ा करवाये निर्माण करवाता है तथा वादग्रस्त भूमि का बेचान करता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा दावे का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा बाडमेर आदर्श आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1891 रकबा 01.02 बीघा भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ईकतरफा जारी की गई है। अतः अप्रार्थीयान की तलबी रजिस्टर्ड डाक से की जावे। वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड डाक खर्चा पेश करे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 30.01.2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

उक्त आदेश पारित करने के पश्चात मूल वाद में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा शामिल मिसल हो। पत्रावली मुकर्रर दिनांक 30.01.20 को पेश हो

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
30/01/20 Note Press. T.I. 30/1/2020 [signature] ([illegible])	प्रार्थी के वकील उप०। वकील प्रार्थी ने पत्रावली में Note Press किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र Note Press में खारिज किया जाता है। दिनांक 03-01-20 को पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली जुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.02.19 14:32:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: